राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	279/2023 बोदन बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/08/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी अनुपस्थित, उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी, किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी को न्यायहित में बहस किये जाने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है अन्यथा अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर निर्णय पारित किया जावेगा। पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस हेतु दिनांक 01/09/2025 को पेश हो।	
01/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अतः अपील मीमो को ही अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस मानी जाती है। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 966 अपीलार्थी का है एवं रेस्पो. ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 970, 967 में से भूमि संपरिवर्तन कर दी है एवं रेस्पो. ने अपीलार्थी की आराजी खसरा नम्बर 966 में से रास्ता चाहा है। रेस्पो. ने रास्ते के बदले राशि भी जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16/12/2022 पारित किये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पर एवं अपील मीमो में अंकित तथ्यों पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विचाराधीन प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की भूमि में आने-जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के आधार पर रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की भी यही प्रावधान निहित है कि किसी खातेदार की आराजी पर कृषि साधनों की पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध नही हो तो रिकार्डेड रास्ता आवश्यक रूप से कायम किया जावे। विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के माध्यम से चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त रेस्पो. की आराजी तक पहुंच हेतु कोई अन्य रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध होने के तथ्य को अपीलार्थी साबित नही कर पाये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16/12/2022 उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	